

## आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 48/2011

शंकर राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
30.04.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 1176, दिनांक 05.03.2011 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 30.01.2011 को पूर्वाह्न 08:50 बजे शंकर राम, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-79/2007, सा०-निणनियां, पंचायत-निपनियां, थाना-इसुआपुर, प्रखंड-इसुआपुर की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (श्री मोइज अंसारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया श्रीमति सुधा रानी जसवाल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इसुआपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) दुकान बन्द पाई गई।</li> <li>(2) विक्रेता अनुपस्थित थे।</li> <li>(3) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था।</li> <li>(4) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नहीं की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागज जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।</li> <li>(5) विक्रेता के सम्बद्ध उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि उपभोक्ताओं का कूपन विक्रेता द्वारा दस दिन पूर्व यह कहकर जमा करा लिया गया है कि कूपन कार्यालय में जमा करना है।</li> </ol>	



(6) विक्रेता से संबद्ध उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि विक्रेता खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं करते हैं तथा वितरण के पश्चात निर्धारित दर एवं मात्रा से अधिक राशि वसूल की जाती है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मद्रौरा के ज्ञापांक 724, दिनांक 01.02.2011 के द्वारा विक्रेता से वकरण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता प्रतिदिन समय से अपनी दुकान खोलता एवं बंद करता है। विक्रेता के हाईड्रोसिल में फ्लेरिया है जिसके शल्य चिकित्सा की तैयारी उनके द्वारा की जा रही थी। निरीक्षण की तिथि 30.01.2011 को सुबह 7:00 बजे इसुआपुर में अपने चिकित्सक के यहाँ गये थे, जिसमें पुरा दिन लग गया। जांच कार्य में असहयोग करने के लिए उसके द्वारा जान बुझ कर दुकान बंद नहीं रखा गया था। चूँकि दुकान की चाभी विक्रेता की जेब में थी, इस लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा दूकान खोलकर भंडार दिखाना और कागजात जॉचार्थ प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका संधारित किया जाता है। जॉच की तिथि को भी उसके द्वारा ऐसा किया गया था, लेकिन हो सकता है कि लिखावट के हल्का होने की वजह से दिखाई न दिया हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाता है। इनकी दूकान का सभी कागजात अद्यतन है, जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। विक्रेता के द्वारा वितरण के दिन उपभोक्ता से कूपन प्राप्त किया जाता है। वितरण के दस दिन पहले कूपन प्राप्त करने का आरोप गलत है। इसी प्रकार निर्धारित मात्रा से कम सामग्री देने एवं निर्धारित मूल्य से लेने का आरोप भी इनके विरोधियों के द्वारा लगाया गया है। विक्रेता के विरुद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के बयान के कॉपी भी विक्रेता को उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही कारण पृच्छा में उनके नाम का ही उल्लेख किया गया है। जांच के क्रम में कोई भी प्रतिकूल बिन्दु यदि पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके संबंध में



कारण पृच्छा किया जाए, न कि उसे आधार बनाकर कठोर आदेश पारित कर दिया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। यदि किसी कारण वश विकेता को कही जाना हो तो इसकी पूर्व अनुमति नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही, निर्धारित कार्य अवधि में दूकान का संचालन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा कराया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1176, दिनांक 05.03.2011) में अंकित किया गया है कि विकेता से प्राप्त कागजातों की जांच के क्रम में विकेता के विरुद्ध कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमितताओं के संबंध में विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी प्रकार, अभिलेख में विकेता के विरुद्ध दिए गए कुल 15 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विकेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हें सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

20/04/16  
जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

20/04/16  
जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

प्रतिनिधि - SDO मधुवा की अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित/ DPO, J9C, साप की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।  
15/06  
राज्य उप सभासदा